No. 33/2/2010-P&PW (F)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan
Khan Market, New Delhi-110511
Dated the 20th April, 2011.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Amendment to Rules of CCS (Extraordinary Pension) Rules, 1939 - Issue of Notification dated 15th February, 2011, published in the Gazette of India on 22nd February, 2011 - regarding.

....

The undersigned is directed to enclose a copy of Notification No. S.O. 410 (E) dated 15th February, 2011, published in the Gazette of India on 22nd February, 2011 on the subject cited above and to request that the contents thereof may please be brought to the notice of all offices/employees under their control for information and compliance.

Encl: as above

(Tripti P. Ghosh)
Director
Tel: 24624802

To,

All Ministries/Departments of the Government of India as per standard distribution list.

Copy to President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Supreme Court of India, C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 2011/फाल्गुन 3, 1932
No. 354] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 2011/PHALGUNA 3, 1932

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2011

का.आ. 410(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में, नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम 1939 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) संशोधन नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम में,—

(i) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2. ये नियम, उन व्यक्तियों से भिन्न जिनको कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8), (अनुसूची-II के पैरा 6 के अधीन) लागू होता है, सिविल प्राक्कलनों से संदत्त व्यक्तियों को लागू होंगे, चाहे उनकी नियुक्तियां जो भारत के राष्ट्रपति के नियम बनाने के नियंत्रण के अधीन हैं, वेतनमान या नियत वेतन या कार्यनुसार दर पर स्थाई या अस्थाई हो :

परन्तु इन नियमों की कोई बात, 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त सरकारी सेवकों पर लागू नहीं होगी ।

टिप्पण —कोई ऐसा सिविलियन अधिकारी, जो 1 जनवरी, 1958 को या उसके पश्चात् संयुक्त राष्ट्र निकायों के अधीन विदेश सेवा में नियुक्त किया गया है और जिसको किसी 'सहयुक्त सदस्य' के रूप में संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी पेंशन निधि में सम्मिलित होने के लिए अनुज्ञात किया है, के संबंध में इन नियमों के अधीन कोई अवार्ड नहीं दिया जाएगा ।";

(ii) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"4. मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों को, इन नियमों के अधीन निःशक्तता या कुटुम्ब पेंशन अनुदान की शक्ति होगी और वे इन शक्तियों को, यहां आवश्यक हो, वित्तीय सलाहकार से परामर्श करके, प्रयोग करेगा किन्तु ऐसे मामले में जो पूर्ण रूप से सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों और अनुदेशों, निर्देशों के निबंधनों में नहीं आते हैं, वे पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग को भेजे जाएंगे ।" :

(iii) नियम 7 का लोप किया जाएगा ।

(iv) नियम 8 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" (3) निःशक्तता या कृत्यकारी अक्षमता के विस्तार को, फायदों के भाग के रूप में निःशक्तता तत्व की गणना के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा :-

चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित निःशक्तता की प्रतिशतता	निःशक्तता तत्व की संगणना के लिए गिनी जाने वाली प्रतिशतता
50 तक	50
50 से अधिक और 75 तक	75
75 से अधिक और 100 तक	100

परन्तु उपरोक्त निर्धारण, उन सरकारी सेवकों को, जो सेवा में हैं, लागू नहीं होगा ।

टिप्पण 1: निःशक्तता के विस्तार को चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्षों को तब तक अंतिम और आबद्धकर माना जा सकेगा जब तक कि कोई कर्मचारी स्वयं, किसी ऐसे प्राधिकारी से जिसने बोर्ड का गठन किया था, ठीक उच्चतर प्राधिकारी को अपील द्वारा पुनर्विलोकन की वांछा नहीं करता है । यदि अपील स्वीकृत की गई है और कोई पुनर्विलोकन चिकित्सा बोर्ड गठित किया गया है तो बोर्ड का निष्कर्ष आबद्धकर होगा ।

यथा अवधारित और स्वीकृत निःशक्तता के विस्तार को अंतिम रूप में माना जाएगा और कर्मचारी से, किसी ऐसे प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए कि निःशक्तता लगातार बनी हुई है, आवधिक रूप से चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

टिप्पण 2: कोई सरकारी सेवक, इस नियम के प्रयोजन के लिए उसकी परीक्षा करने वाले चिकित्सा बोर्ड के विनिश्चय के विरूद्ध, अपील कर सकेगा :-

(i) परीक्षा करने वाले चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्षों को, कार्यालय या विभाग के प्रमुख द्वारा चिकित्सा रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् यथासंभव, संबद्ध सरकारी सेवक को ज्ञात कराया जाएगा। संबद्ध सरकारी सेवक, यदि वह, ऐसे विनिश्चय के विरूद्ध अपील करने की वांछा करता है तो वह ऐसे तारीख से जिसको चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्ष, उसको ज्ञात कराए गए थे, एक मास के भीतर अपने मामले के समर्थन में अपेक्षित साक्ष्य के साथ ऐसा करेगा; किन्तु, यदि सरकार का, सम्बद्ध सरकारी सेवक द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से परीक्षा करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी के विनिश्चय में निर्णय की किसी त्रुटि की संभावना का समाधान हो गया है तो वे द्वितीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पुनः परीक्षा के लिए अनुज्ञात कराने को स्वतंत्र होंगे।

(ii) यदि किसी परीक्षा लेने वाले ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी जिसने प्रथमतः उसकी परीक्षा की थी, के विनिश्चय में निर्णय की किसी गलती की संभावना के बारे में किसी साक्ष्य के रूप में सरकारी सेवक द्वारा कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तो ऐसे प्रमाण पत्र पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसमें, किसी ऐसे चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जिसने इस प्रभाव का प्रमाण पत्र दिया है कि ऐसे किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा, जिसने ऐसी क्षति या बीमारी के बारे में अपनी राय दी है, जिसके संबंध में सरकारी सेवक ने, असाधारण परिस्थितियों के अधीन फायदों के लिए आवेदन किया था, पहले ही संबद्ध व्यक्ति की परीक्षा की है, इस तथ्य की पूरी जानकारी दी गई है, का कोई टिप्पण सम्मिलित न हो।

(iii) पुनर्विलोकन बोर्ड के गठन में उपगत व्यय सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे परन्तु सरकारी सेवक से ऐसी विहित फीस का संदाय करने की अपेक्षा की जाएगी जो यदि उसकी अपील पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा मान्य ठहराई जाती है तो प्रतिदाय की जाएगी।

(iv) प्रक्रिया की समानता सुनिश्चित करने के लिए सभी अपीलें, प्रथमतः, स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएंगी जो परीक्षा करने वाले ऐसे चिकित्सा बोर्ड के जिसने प्रथम रूप से चिकित्सा परीक्षा की थी, की ओर से निर्णय की कोई गलती है, के बारे में और क्या अपील स्वीकृत की गई या नहीं तथा यदि स्वीकृत की गई है तो किसके द्वारा ऐसी पुनः परीक्षा की जाएगी, के बारे में प्रस्तुत साक्ष्य पर सलाह देगा।" :

(v) नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : -

"9. (1) जब किसी सरकारी सेवक की निःशक्तता नियम 3 क के निबंधन अनुसार सरकारी सेवा को लागू अनुसार संचालित की गई है तो उसको सम्बद्ध चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित निःशक्तता की प्रतिशतता (उसके द्वारा सहन की गई) के अनुसार इस नियम के उप नियम (2) के निबंधन अनुसार निःशक्तता पेंशन या उप नियम (3) के निबंधन अनुसार एकमुश्त प्रतिकर प्रदान किया जाएगा।

(2) यदि कोई सरकारी सेवक उसकी निःशक्तता के कारण सरकारी सेवा से बाहर हो जाता है तो शत प्रतिशत निःशक्तता के लिए निःशक्तता पेंशन की मात्रा, इससे उपाबद्ध अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी और निःशक्तता की निम्नतर प्रतिशतता के लिए निःशक्तता पेंशन की मात्रा, नियम 8 में उपबंधित उपबंध के अनुसार "आनुपातिक रूप से निम्नतर" होगी ।

(3) यदि कोई सरकारी सेवक ऐसी निःशक्तता के रहते हुए भी सेवा में रहता है तो उसको समय समय पर प्रवृत्त सारांशीकरण सारणी के निर्देश से ऐसी निःशक्तता पेंशन के पूंजीगत मूल्य पर पहुंच कर के इस नियम में उप नियम 2 के उपबंधों के अनुसार उसके लिए ग्राह्य निःशक्तता पेंशन के आधार पर किसी एकमुश्त प्रतिकर (निःशक्तता पेंशन के स्थान पर) संदत्त किया जाएगा :

परन्तु नियम 8 के उप नियम (3) में यथा उपबंधित निर्धारण ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा ।" ;

(vi) नियम 9 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

"9 क. ऐसे पेंशनभोगियों को, जो शत प्रतिशत निःशक्तता के लिए नियम 9 के उपबंधों के अधीन निःशक्तता पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और जो दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप के लिए दूसरों पर पूर्णरूप से आश्रित हैं, निःशक्तता पेंशन के अतिरिक्त समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार सतत् परिचर भत्ता भी अनुदत्त दिया जाएगा ।" :

(vii) नियम 10 में "अनुसूची III" शब्दों के स्थान पर "अनुसूची-II" शब्द रखे जाएंगे ;

(viii) नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : -

"11(1) यदि किसी मृतक सरकारी सेवक की न कोई विधवा और न ही कोई संतान है तो अवार्ड माता-पिता को दिया जाएगा और माता-पिता की अनुपस्थिति में इससे उपाबद्ध अनुसूची-II के अनुसार नाबालिग भाईयों और बहिनों को दिया जाएगा, यदि वे सहायता के लिए सरकारी सेवक पर पूर्णतया आश्रित थे और उनको धनीय आवश्यकता है ।

परन्तु नाबालिग भाईयों और बहिनों को अवार्ड को अवार्ड की रकम, ऐसी पेंशन के आधे से अधिक नहीं होगी जो नियम 10 के अधीन विधवा के लिए ग्राह्य होती ।

(2) इस नियम के उप नियम (1) के अधीन दिया गया कोई अवार्ड, पेंशनभोगी की धनीय परिस्थितयों में सुधार की दशा में, ऐसी रीति में जो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा विहित करें, पुनर्विलोकन के अधीन होगा ।

टिप्पण :- यदि सरकारी सेवक द्वारा किए गए किसी इच्छाप्रत्र या विलेख के अधीन उसकी सम्पत्ति में किसी के लिए किन्हीं विधवाओं, संतानों, पिता या माता, नाबालिग भाईयों या बहिनों को इन्कार किया गया है तो ऐसा व्यक्ति, इन नियमों के अधीन किसी अवार्ड को प्राप्त करने के लिए अपात्र होगा और फायदा अगले व्यक्ति को चला जाएगा ।" ;

(ix) नियम 12 के उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, :-

" (2) कुटुम्ब पेंशन, साधारणतया निम्नलिखित के लिए मान्य होगी :-

(i) विधवा या माता की दशा में जब तक उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह न हो, इनमें जो भी पूर्वतर हो;

(ii) नाबालिग पुत्र या नाबालिग भाई की दशा में जब तक कि उसने पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो ;

(iii) पुत्री की दशा में उस अवधि के दौरान जिसको वह केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र है ;

(iv) बहिन की दशा में जबकि वह विवाह न कर ले या जब तक कि उसने पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ;

(v) पिता की दशा में, आजीवन ।" ;

(x) नियम 13 में :-

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

" (1) प्रक्रिया के मामले के संबंध में इन नियमों के अधीन सभी अवार्ड, तत्समय प्रवत साधारण पेंशनों से संबंधित किसी प्रक्रिया नियमों के अधीन उस विस्तार तक होंगे जिस तक ऐसे प्रक्रिया नियम लागू हैं और इन नियमों से असंगत नहीं और यह भी कि यदि पेंशन से संबंधित पात्रता इन नियमों के अधीन सम्मिलित नहीं है किन्तु केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन सम्मिलित है तो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 लागू होंगे, परन्तु वह, इन नियमों के उपबंधों के विरूद्ध या उनसे असंगत न हो ।" ;

(ख) उपनियम (2) और उपनियम (3) का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपनियम (4) में "भारत सरकार" शब्दों के स्थान पर, "मंजूरी प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

676 GI/11-2

(xi) विद्यमान अनुसूची-II के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

अनुसूची-II

विभिन्न परिस्थितियों के अधीन मृत्यु या निःशक्तता के लिए संदेय प्रतिकर के अवधारण के लिए मामलों को पांच विभिन्न प्रवर्गों में निम्नलिखित रूप से प्रवर्गीकृत किया गया है :-

प्रवर्ग **'क'** - मृत्यु या निःशक्तता सरकारी सेवा के कारण न होकर, प्राकृतिक कारणों से हुई हो । उदाहरणार्थ चिरकालिक हृदय रोग और गुर्दे की बीमारी लंबे अरसे से अस्वस्थता, ड्यूटी पर न रहते हुए दुर्घटना आदि ।

प्रवर्ग **'ख'**- मृत्यु या निःशक्तता जिनका कारण सरकारी सेवा मानी गई हो या निःशक्तता जो सरकारी सेवा के कारण बढ़ी हो । अत्यधिक गर्म या ठंडे वातावरण या व्यासायिक खतरे के कारण प्रतिकूल स्थिति में लगातार कार्य करने के कारण हुई बीमारियों के परिणामस्वरूप मृत्यु होना या निःशक्तता से ग्रस्त होना इसके उदाहरण होंगे ।

प्रवर्ग **'ग'**- ड्यूटी करते समय दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु या निःशक्तता से ग्रस्त होना । ड्यूटी के समय सरकारी वाहनों अथवा सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय दुर्घटना, ड्यूटी पर रहते हुए सरकारी हवाई जहाज में यात्रा के दौरान दुर्घटना, समुद्री यात्रा करते समय दुर्घटना, ड्यूटी के दौरान विद्युतमारण (इलैक्ट्रोक्यूशन) इत्यादि इसके कुछ उदाहरण हैं ।

प्रवर्ग **'घ'**- ड्यूटी करते समय अथवा अन्यथा आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा की गई हिंसक कार्रवाई के कारण मृत्यु या निःशक्तता से ग्रस्त होना । प्रदर्शनकारियों, पुलिस कार्मिकों आदि सहित अन्य लोक सेवकों के आंदोलनों, दंगों अथवा विद्रोह का दमन करने में सिविल प्रशासन की सहायता हेतु काम में लगाए गए केन्द्रीय पुलिस संगठनों के कार्मिकों की मृत्यु या उनको पहुंची चोट के मामलों के अलावा सार्वजनिक स्थलों अथवा परिवहनों में बम विस्फोट, लोगों आदि पर अंधाधुंध गालियां चलने की घटनाएं इस प्रवर्ग में सम्मिलित होंगी ।

प्रवर्ग **'ङ'**- (क) उग्रवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हमले या उनके विरुद्ध कार्रवाई के दौरान हुए हमले और (ख) अंतरराष्ट्रीय युद्ध अथवा सीमा मुठभेड़ तथा युद्ध-तुल्य परिस्थितियों में शत्रु की कार्रवाई जिसमें (i) कार्रवाई (ऑपरेशनल) क्षेत्र में जाते समय उग्रवादी कार्रवाई, बारूदी सुरंग फटना आदि (ii) उग्रवादियों के द्वारा अपहरण और (iii) प्रशिक्षण अभ्यासों के भाग स्वरूप असली गोला-बारूद से युद्धाभ्यास भी सम्मिलित है, के परिणामस्वरूप मृत्यु या निःशक्तता से ग्रस्त होना ।

प्रवर्ग (क) के अधीन आने वाले मामले केन्द्रीय सिविल सेवा, (पेंशन) नियम, 1972 के उपबंधों के अधीन आते हैं ।

प्रवर्ग (ख), प्रवर्ग (ग), प्रवर्ग (घ) और प्रवर्ग (ङ) के अधीन आने वाले मामलों में कुटुंब पेंशन या निःशक्तता पेंशन के पैमाने निम्नानुसार होंगे :-

1. कुटुंब पेंशन- प्रवर्ग 'ख' और प्रवर्ग 'ग' के लिए

(1) असाधारण कुटुंब पेंशन की राशि का अवधारण करने हेतु बिना संतानों वाली व संतानों वाली विधवाओं के बीच विभेद समाप्त रहेगा । सभी प्रवर्गों की विधवाओं हेतु असाधारण कुटुंब पेंशन की मासिक राशि निम्नानुसार होगी :-

(क) जहां मृतक सरकारी सेवक ने पेंशन योग्य पद धारण नहीं किया हुआ था :
मूल वेतन का 40 प्रतिशत, न्यूनतम 4550/-रु0 के अधीन रहते हुए ।

(ख) जहां मृतक सरकारी सेवक ने पेंशन योग्य पद धारण किया हुआ था :
मूल वेतन का 60 प्रतिशत, न्यूनतम 7000/-रु0 के अधीन रहते हुए ।

(2) ऐसे मामलों में जहां किसी विधवा की मृत्यु हो जाती है या वह पुनर्विवाह कर लेती है वहां संतानों को यथालागू उपरोक्त (क) या (ख) में उल्लिखित दरों पर कुटुंब पेंशन संदत्त की जाएगी और पेंशन की वही दर पितृहीन या मातृहीन संतान के लिए भी लागू होगी तथा उपर्युक्त दोनों ही मामलों में संतानों को कुटुंब पेंशन उसी अवधि के दौरान के लिए संदत्त की जाएगी, जिसके लिए वे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन कुटुंब पेंशन के पात्र होंगे और आश्रित माता-पिता को विधवाओं या पितृहीन या मातृहीन संतानों के लिए लागू पेंशन-दर की आधी दर पर कुटुंब पेंशन संदत्त दी जाएगी ।

2. **'घ' और 'ङ' प्रवर्गों के लिए कुटुंब पेंशन**

(1) यदि किसी सरकारी सेवक की विधवा जीवित है तो वह मृतक सरकारी सेवक द्वारा अंतिम आहरित वेतन के समान कुटुंब पेंशन के लिए हकदार होगी और उक्त कुटुंब पेंशन उसके जीवन के लिए या जब तक वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती है, ग्राह्य होगी ।

(2) किसी विधवा के पुनर्विवाह की दशा में कुटुंब पेंशन, उसके पुनर्विवाह की तारीख की अनुगामी तारीख से केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1972 के अधीन अधिकथित कुटुंब पेंशन की दर पर और शर्तों के अधीन रहते हुए, अनुज्ञात होगी ।

(3) विधवा के पुनर्विवाह की दशा में और यदि सरकारी सेवक की विधवा जीवित नहीं है किन्तु संतान या केवल संतान जीवित है तो सभी संतान एकसाथ मूल वेतन के 60 प्रतिशत की दर पर न्यूनतम 7000/- के अधीन रहते हुए कुटुंब पेंशन के लिए पात्र होंगे । कुटुंब पेंशन ऐसी संतानों को उस अवधि के दौरान से जिसमें वे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1972 के अधीन कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हातीं संदेय होगी ।

(4) जब कोई सरकारी सेवक की मृत्यु कुंवारे या बिना संतानों के विधुर के रूप में होती है तो आश्रित पेंशन, माता-पिता को, धनीय परिस्थितयों के निर्देश के बिना, दोनों माता-पिता के लिए मृतक सरकारी सेवक द्वारा अंतिम रूप से आहरित वेतन के 75 प्रतिशत की दर पर ग्राह्य होगी और एकल माता-पिता के लिए मृतक सरकारी सेवक द्वारा अंतिम रूप से आहरित वेतन के 60 प्रतिशत की दर पर तथा एकल माता-पिता की मृत्यु पर पश्चातवर्ती दर पर जीवित माता-पिता के लिए ग्राह्य होगी ।

(5) जहाँ कुटुंब पेंशन या आश्रित पेंशन इन नियमों के अधीन अनुज्ञात की गई है, वहाँ कोई अन्य कुटुंब पेंशन या आश्रित पेंशन उसी मृतक सरकारी सेवक की मृत्यु से संबंधित किन्ही अन्य आदेशों या नियमों के अधीन ग्राह्य होगी ।

3. प्रवर्ग ' ख' और प्रवर्ग ' ग' के लिए निःशक्तता पेंशन

(1) 100 प्रतिशत निःशक्तता के लिए, पिछले 10 मास के दौरान प्राप्त परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर पर सामान्य पेंशन, इनमें से जो भी सरकारी सेवक के लिए फायदाप्रद हो और केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन ग्राह्य है उपदान के साथ-साथ मूल वेतन के 30 प्रतिशन के बराबर निःशक्तता पेंशन । अर्जित पेंशन यदि अन्यथा देय है, के लिए वास्तव में की गई न्यूनतम अर्हक सेवा की कोई शर्त नहीं होगी । कोई सेवा उपदान भी ग्राह्य नहीं होगा ।

(2) निःशक्तता की निम्नतर प्रतिशतता के लिए मासिक निःशक्तता पेंशन, आनुपातिक रूप से नियम 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए और न्यूनतम 7000/- रूपये के अधीन रहते हुए, होगी ।

4. प्रवर्ग 'घ' के लिए निःशक्तता पेंशन

(1) पिछले 10 मास के दौरान प्राप्त परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर के समान सेवा अंश से मिलकर बनने वाली निःशक्तता पेंशन इनमें से जो भी सरकारी सेवक के लिए फायदाप्रद हो और ऐसा उपदान जिसके लिए कर्मचारी अविधिमान्यकरण की तारीख को उसके वेतन के आधार पर हकदार होता किन्तु ऐसी तारीख को जिसको वह सामान्य अनुक्रम में सेवानिवृत्त होता, उसकी सेवा जारी रहती और सामान्य कुटुंब पेंशन के लिए रकम के बराबर निःशक्तता अंश और अर्जित पेंशन यदि अन्यथा देय है, के लिए वास्तव में की गई न्यूनतम अर्हक सेवा की कोई शर्त नहीं होगी ।

(2) निःशक्तता की निम्नतर प्रतिशतता के लिए निःशक्तता अंश, नियम 8 के अधीन रहते हुए आनुपातिक रूप से निम्नतर होगा ।

5. प्रवर्ग 'ङ' के लिए निःशक्तता पेंशन

(1) पिछले 10 मास के दौरान प्राप्त परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर के समान सेवा अंश से मिलकर बनने वाली निःशक्तता पेंशन इनमें से जो भी सरकारी सेवक के लिए फायदाप्रद हो और ऐसा उपदान, जिसके लिए कर्मचारी अविधिमान्यकरण की तारीख को उसके वेतन के आधार पर किन्तु ऐसी तारीख को जिसको वह सामान्य अनुक्रम में सेवानिवृत्त होता, उसकी सेवा जारी रहती, हकदार होता और 100 प्रतिशत निःशक्तता की दशा में अंतिम रूप से आहरित वेतन की रकम के बराबर निःशक्तता अंश । अंतिम रूप से आहरित वेतन की कोई सीमा नहीं होगी अर्थात् सेवा और पेंशन के निःशक्तता अंशों का कुल योग अंतिम रूप से आहरित वेतन से अधिक हो सकेंगे और और अर्जित पेंशन यदि अन्यथा देय है, के लिए वास्तव में की गई न्यूनतम अर्हक सेवा की कोई शर्त नहीं होगी

(2) निःशक्तता की निम्नतर प्रतिशतता के लिए निःशक्तता अंश, नियम 8 के अधीन रहते हुए आनुपातिक रूप से निम्नतर होगा ।

6. प्रवर्ग 'घ' और 'ङ' के लिए कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन अतिरिक्त फायदे

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के उपबंधों द्वारा शासित सरकारी सेवक, इस नियम के अधीन अवार्डों के लिए भी पात्र होंगे । जहाँ इस नियम के अधीन ग्राह्य फायदा, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन ग्राह्य फायदों से अधिक है वहाँ वह पृथक रूप से संदेय नहीं होगा । तथापि यदि इस नियम के अधीन ग्राह्य राशि (i) वैयक्तिक क्षति (आपात उपबंध) अधिनियम 1971 (1971 का 74) द्वारा यथासंशोधित वैयक्तिक क्षति (आपात उपबंध) अधिनियम 1962 (1962 का 59) और (ii) वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) संशोधन अधिनियम 1971 (1971 का 75) द्वारा संशोधित वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम 1963 (1963 का 37) के अधीन प्रतिकर के रूप में संदेय रकम कम है तो वे इस नियम के अधीन ग्राह्य किसी राशि और उक्त अधिनियमों के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम के बीच अंतर के समान रकम को प्राप्त करने का अधिकार रखेंगे । ऐसे अंतर को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए पश्चातवर्ती रकम को, यदि आवश्यक हो तो नीचे दी गई सारणी को लागू करते हुए, निम्नलिखित उदाहरण के रूप में मासिक रूप से आवर्ती संदाय में परिवर्तित की जाएगी :-

उदाहरण

उदाहरणार्थ एकमुश्त रकम 2,437 रूपये है और हिताधिकारी के अंतिम जन्म दिन के अनुसार आयु 43 वर्ष है । संलग्न सारणी में 43 वर्ष आयु के सामने स्तम्भ (2) में दिया गया कारक 0.00652957 है । समतुल्य मासिक किस्त 2437 x 0.00652957 के समान होगा, अर्थात् 15.91रूपये (निकटतम पैसे के रूप में) ।

स्तम्भ (1) में दर्शायी गई आयु पर देय 1 रूपया (एक रूपया) की एकमुश्त संदाय के स्थान पर जीवन के लिए समतुल्य मासिक किस्तों का दर्शाने वाली सारणी ।

कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को हिताधिकारी के अंतिम जन्म दिन पर आयु (x) (1)	हिताधिकारी के अंतिम जन्म दिन पर आयु (x) पर देय एक रूपये के एकमुश्त संदाय के लिए समतुल्य मासिक किस्त (रूपया) (2)	कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को हिताधिकारी के अंतिम जन्म दिन पर आयु (x) (1)	हिताधिकारी के अंतिम जन्म दिन पर आयु (x) पर देय एक रूपये के एकमुश्त संदाय के लिए समतुल्य मासिक किस्त (रूपया) (2)
15	.00471732	46	.00685763
16	.00475242	47	.00697478
17	.00478911	48	.00709629
18	.00482604	49	.00722304
19	.00486170	50	.00735539
20	.00489705		
21	.00493425	51	.00749383
22	.00497370	52	.00763891
23	.00501551	53	.00779068
24	.00505986	54	.00794944
25	.00510711	55	.00811588
26	.00515735	56	.00828975
27	.00521044	57	.00847108
28	.00526648	58	.00866105
29	.00532588	59	.00885957
30	.00538879	60	.00906678
31	.00545532	61	.00928264
32	.00552586	62	.00950790
33	.00560069	63	.00974405
34	.00567982	64	.00999134
35	.00576319	65	.01024980
36	.00585008	66	.01051930
37	.00593983	67	.01080167
38	.00603239	68	.01109777
39	.00612737	69	.01140868
40	.00622483	70	.01173582
41	.00632463	71	.01207896
42	.00642615	72	.01243851
43	.00652957	73	.01281669
44	.00663558	74	.01321462
45	.00674469	75	.01363359";

(xii). अनुसूची III का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 33/2/2010-पी. एण्ड पी. डब्ल्यू. (एफ)]
तृप्ति पी. घोष, निदेशक

टिप्पण :- केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम 1939 और इन नियमों को पश्चातवर्ती रूप से निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया है :-

1. का.आ.सं.3392 तारीख 13 दिसम्बर, 1974
2. का.आ.सं. 1487 (अ) तारीख 30 दिसम्बर, 2003

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Pension and Pensioners' Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2011

S.O. 410(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules,1939, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Amendment Rules, 2011.

   (2) These shall come into force on the publication of this notification in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules,-

   (i). for rule 2, the following shall be substituted, namely :-

   "2. These rules shall apply to all persons paid from Civil Estimates, other than those to whom the Workmen's Compensation Act, 1923 (VIII of 1923) applies (subject to para 6 of Schedule II), whether their appointment is permanent or temporary, on the scale of pay or fixed pay or piece-work rates who are under the rule making control of the President of India:

   Provided that nothing contained in these rules shall apply to the Government servants appointed on or after the 1st day of January, 2004.

   NOTE - No award shall be made under these rules in respect of a civilian officer who is deputed on foreign service under UN bodies on or after the 1st January, 1958 and who is allowed to join the UN Joint Staff Pension Fund as an 'Associate Member'." ;

   (ii). for rule 4, the following shall be substituted, namely :-

   "4. The Ministries/Departments and offices shall have the powers to grant disability or family pension covered under these rules and they shall exercise these powers, wherever

necessary, in consultation with the Financial Advisers, but the cases which are not covered strictly in terms of the Government guidelines and instructions, reference shall be made to the Department of Pension and Pensioners' Welfare.";

(iii). rule 7 shall be omitted.

(iv). In rule 8, after sub-rule (2), the following shall be inserted namely : –

"(3) The extent of disability or functional incapacity shall be determined in the following manner for purposes of computing the disability element forming part of benefits:-

Percentage of disability assessed by Medical Board	Percentage to be reckoned for computation of disability element.
upto 50	50
More than 50 and upto 75	75
More than 75 and upto 100	100

Provided that the above broadbanding shall not be applicable to Government servants who are retained in service.

Note 1: The findings of the Medical Board on the extent of disability may be treated as final and binding unless the employee himself seeks a review by preferring an appeal to an Authority immediately superior to the one who had constituted the Board. In case the appeal is accepted and a review Medical Board is constituted, the findings of the Board shall be binding on all parties.

The extent of disability as determined and accepted shall be treated as final and the employee shall not be required to appear before Medical Board periodically for the purpose of obtaining a certificate that the disability continues to persist.

Note 2: A government servant may appeal against the decision of the Medical Board which examined him for the purpose of this rule:-

(i) The findings of the examining Medical Board shall be made known to the Government servant concerned as soon as possible after the receipt of the medical report by the Head of the Office or Department. The Government servant concerned shall, if he desires to appeal against such decision, do so together with requisite evidence in support of his case within one month from the date on which the findings of the Medical Board were made known to him. Ordinarily there is no right of appeal from the findings of an examining medical authority; but if Government is satisfied on the evidence placed before them by the Government servant concerned, of the possibility of an error of judgment in the decision of the examining medical authority, it shall be open to them to allow re-examination by a second Medical Board.

(ii) If any medical certificate is produced by the Government servant as a piece of evidence about the possibility of an error of judgment in the decision of an examining medical authority who had examined him in the first instance, the certificate shall not be taken into consideration unless it contains a note by the medical practitioner who gave the certificate to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the person concerned has already been examined by a Medical Board who have given their opinion as

to the injury or disease in respect of which the Government servant had applied for benefits under extraordinary circumstances.

(iii) The expenditure incurred in assembling the Review Board shall be borne by the Government, provided that the Government servant shall be required to pay a prescribed fee which shall be refunded if his appeal is upheld by the Review Board.

(iv) To ensure uniformity of procedure, all appeals shall at first be referred to the Ministry of Health who shall advise on the evidence produced as to whether there is an error of judgment on the part of the examining Medical Board who first conducted the Medical examination and whether the appeal shall be accepted or not and if accepted, by whom such re-examination shall be conducted.";

(v). for rule 9, the following shall be substituted, namely :-

"9.(1) when disablement of a Government service is conceded as due to Government service in terms of rule 3-A, he shall be awarded disability pension in terms of sub-rule (2) or lump sum compensation in terms of sub-rule (3) of this rule in accordance with the percentage of disability (suffered by him) as certified by the Medical Authority concerned.

(2) If the Government servant is boarded out of Government service on account of his disablement, the quantum of disability pension for cent per cent disability shall be as specified in SCHEDULE II hereto annexed and the quantum of disability pension for lower percentage of disability shall be, "proportionately lower" in accordance with the provision provided in rule 8.

(3) If the Government servant is retained in service in spite of such disablement, he shall be paid a compensation in lump sum (in lieu of the disability pension) on the basis of disability pension admissible to him in accordance with the provisions of sub-rule (2) of this rule, by arriving at the capitalized value of such disability pension with reference to the Commutation Table, in force from time to time:

Provided that the broadbanding as provided in the sub-rule (3) of rule 8 shall not be applicable in such cases." ;

(vi). after rule 9, the following shall be inserted namely :-

"9 A. the pensioners who are drawing disability pension under the provisions of rule 9 for 100% disability and are completely dependent on others for day to day activities, shall also be granted in addition to disability pension, the Constant Attendant Allowance in accordance with the instructions issued from time to time." ;

(vii). In rule 10, for the words "Schedule III", the words "Schedule II" shall be substituted;

(viii). for rule 11, the following shall be substituted, namely :-

676 GI/11—4

"11 (1) If the deceased Government servant has left neither a widow nor a child, an award shall be made to parent or parents and in the absence of the parent or parents to minor brothers and sisters in accordance with SCHEDULE II hereto annexed if they were largely dependent on the Government servant for support and are in pecuniary need;

Provided that the amount of the award to minor brothers and sisters shall not exceed one half of the pension that would have been admissible to the widow under rule 10.

(2) Any award made under sub-rule (1) of this rule shall, in the event of an improvement in the pecuniary circumstances of the pensioner, be subject to review in such manner as the President may by order prescribe.

Note.- If any of the widows, children, father or mother, minor brothers or sisters is denied any share in the property of the Government servant under a Will or Deed made by him, such person shall be ineligible to receive any award under these rules and the benefit will pass on to the next person eligible." ;

(ix). In rule 12, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely :-

"(2) A family pension shall ordinarily be tenable -

(i) in the case of a widow or mother until death or re-marriage, whichever occurs earlier ;

(ii) in the case of minor son or minor brother until he attains the age of twenty-five ;

(iii) in the case of daughter during the period she is eligible for family pension under Central Civil Services (Pension) Rules 1972 ;

(iv) in the case of sister until marriage or until she attains the age of twenty-five years whichever occurs earlier ;

(v) in the case of a father, life.";

(x). in rule 13, -

(a) for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely :-

"(1) In respect of matters of procedure, all awards under these rules are subject to any procedure rules relating to ordinary pensions for the time being in force, to the extent that such procedure rules are applicable and are not inconsistent with these rules and also, if eligibility concerning pension is not covered under these rules but covered under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 the Central Civil Services

(Pension) Rules,1972 shall be applicable, provided it is not repugnant to or inconsistent with the provisions of these rules." ;

(b) sub-rule (2) and (3) shall be omitted;

(c) in sub-rule (4), for the words "Government of India", the words "sanctioning authority" shall be substituted;

(xi). for the existing Schedule II, the following shall be substituted namely :-

"Schedule II

For determining the compensation payable for death or **disability** under different circumstances, the cases are categorized in five distinct categories as under:

Category 'A' - Death or disability due to natural causes not attributable to Government service. Examples would be chronic ailments like heart and renal diseases, prolonged illness, accidents while not on duty, etc.

Category 'B' - Death or disability due to causes which are accepted as attributable to or aggravated by Government service. Diseases contracted because of continued exposure to a hostile work environment, subjected to extreme weather conditions or occupational hazards resulting in death or disability would be examples.

Category 'C' - Death or disability due to accident in the performance of duties. Some examples are accidents while traveling on duty in Governments vehicles or public transport, a journey on duty is performed by service aircraft, mishaps at sea, electrocution while on duty, etc.

Category 'D' - Death or disability, attributable to acts of violence by terrorists, anti-social elements, etc. whether in their performance of duties or otherwise. Apart from cases of death or injury sustained by personnel of the Central Police Organizations while employed in aid of the civil administration in quelling agitation, riots or revolt by demonstrators, other public servants including police personnel, etc., bomb blasts in public places or transport, indiscriminate shooting incidents in public, etc., would be covered under this category.

Category 'E' - Death or disability arising as a result of (a) attack by or during action against extremists, anti-social elements, etc... and (b) enemy action in international war or border skirmishes and warlike situations, including cases which are attributable to (i) extremists acts, exploding mines, etc..., while on way to an operational area (ii) kidnapping by extremists; and (iii) battle inoculation as part of training exercises with live ammunition.

Cases covered under the Category (A) are covered under provisions of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

In cases covered under Categories (B), (C), (D) and (E), the scales of the family pension or disability pension shall be as under:-

1. Family Pension - for Categories 'B' and 'C'

(1) Distinction between widows without children or those with children, for determination of the quantum of extraordinary family pension stand abolished. The quantum of monthly extraordinary family pension for all categories of widows shall be:-

(a) where the deceased Government servant was not holding a pensionable post: 40% of basic pay subject to a minimum of Rs.4,550.

(b) where the deceased Government servant was holding a pensionable post: 60% of basic pay subject to a minimum of Rs. 7,000.

(2) In case where the widow dies or remarries, the children shall be paid family pension at the rates mentioned at (a) or (b) above, as applicable, and the same rate shall also apply to fatherless or motherless children and in the both cases, the family pension shall be paid to children for the period during which they would have been eligible for family pension under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 and the dependant parents shall be paid family pension at one-half the rate applicable to widows or fatherless or motherless children.

2. Family Pension for Categories 'D' and 'E'

(1) If the Government servant is survived by the widow, she shall be entitled to family pension equal-to the pay last drawn by the deceased Government servant and the said family pension shall be admissible to her for life or until her re-marriage.

(2) In the event of remarriage of the widow, family pension shall be allowed at the rate of family pension and subject to the conditions laid down under the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 from the date following the date of her remarriage.

(3) In the event of remarriage of the widow and if the Government servant is not survived by widow but is survived by child or children only, all children together shall be eligible for family pension at the rate of 60% of basic pay, subject to a minimum of Rs. 7,000. The family pension shall be payable to the Children from the period during which they would have been eligible for family pension under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

(4) When the Government servant dies a bachelor or as a widower without children, dependent pension shall be admissible to the parents without reference to pecuniary circumstances, at the rate of 75% of pay last drawn by the deceased Government servant for both parents and at the rate of 60% of pay last drawn by the deceased Government servant for a single parent and on the death of one parent dependent pension at the latter rate shall be admissible to the surviving parent.

(5) Where family pension or dependant pension is allowed under these rules, no other family pension or dependant pension shall be admissible under any other orders or rules in consideration of death of the same deceased government servant.

3. Disability Pension for Categories 'B' and 'C'

(1) Normal pension @50% of the emoluments or average emoluments received during the last 10 months, whichever is beneficial to the Government servant and gratuity admissible under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, plus disability pension equal to 30% of basic pay, for 100% disability. There shall be no condition of minimum qualifying service having been actually rendered for earning pension, if otherwise due. No service gratuity shall be admissible.

(2) For lower percentage of disability, the monthly disability pension shall be proportionately lower subject to the provisions of rule 8 and subject to a minimum of Rs. 7,000.

4. Disability Pension for Category 'D'

(1) Disability pension comprising a service element equal to the pension @50% of the emoluments or average emoluments received during the last 10 months, whichever is beneficial to the Government servant and gratuity to which the employee would have been entitled to on the basis of his pay on the date of invalidation but counting service up to the date on which he would have retired in the normal course and disability element equal in amount to normal family pension and there shall be no condition of minimum qualifying service having been actually rendered for earning pension, if otherwise due.

(2) For lower percentage of disability, the disability element shall be proportionately lower subject to rule 8.

5. Disability Pension for Category 'E'

(1) Disability pension comprising a service element equal to the pension @50% of the emoluments or average emoluments received during the last 10 months, whichever is beneficial to the Government servant and gratuity to which the employee would have been entitled to on the basis of his pay on the date of invalidation but counting service up to the date on which he would have retired in normal course and disability element equal in amount to the pay last drawn in case of 100% disability. There shall be no upper limit of the 'pay last drawn', i.e. the aggregate of the service and disability elements of pension may exceed the 'pay last drawn' and there shall be no condition of minimum qualifying service having been actually rendered for earning pension, if otherwise due.

(2) For lower percentage of disability, the disability element shall be proportionately lower subject to rule 8.

676 GI)11-5

6. Additional benefits under the Workmen's Compensation Act, 1923 for Categories 'D' and 'E'

The Government servants governed by the provisions of the Workmen's Compensation Act, 1923, (VIII of 1923) shall also be eligible for the awards under this rule. Where the benefit admissible under this rule is more than the benefits admissible under the Workmen's Compensation Act, 1923, (VIII of 1923) the compensation admissible under the said Workmen's Compensation Act, 1923, shall not be separately payable. However, if the sum admissible under this rule is less than the amount payable as compensation under (i) the Personal Injuries (Emergency Provision) Act, 1962, (59 of 1962) as amended by the Personal Injuries (Emergency Provision) Amendment Act, 1971, (74 of 1971) and (ii) the Personal Injuries (Compensation Insurance) Act, 1963, (37 of 1963) as amended by the Personal Injuries (Compensation Insurance) Amendment Act, 1971, (75 of 1971) they shall have a right to receive an amount equal to the difference between the sum admissible under this rule and the amount of compensation payable under the said Acts. For the purpose of determining such difference, the latter amount shall be converted, if necessary, into a recurring monthly payment as in the following illustration, by applying the table given below. –

Illustration

Suppose the lump sum amount is Rs. 2,437 and the age last birthday of the beneficiary is 43 years. The factor given in Column (2) against age 43 of the table enclosed is 0.00652957. The equated monthly installment will be equal to 2,437 x 0.00652957, i.e., Rs. 15.91 (rounded to the nearest paisa).

Table showing the equated monthly installments payable for life in lieu of a lump sum payment of Re. 1 (One rupee) due at ages shown in col. (1).

Age last birthday of the beneficiary on the date of death of the employee(x)(1)	Equated monthly installment for a lump sum payment of one rupee due at age (x) last birthday of the beneficiary(Rupee)(2)	Age last birthday of the beneficiary on the date of death of the employee(x)(1)	Equated monthly installment for a lump sum payment of one rupee due at age (x) last birthday of the beneficiary(Rupee)(2)
15	.00471732	46	.00685763
16	.00475242	47	.00697478
17	.00478911	48	.00709629
18	.00482604	49	.00722304
19	.00486170	50	.00735539
20	.00489705		
21	.00493425	51	.00749383
22	.00497370	52	.00763891
23	.00501551	53	.00779068
24	.00505986	54	.00794944
25	.00510711	55	.00811588

26	.00515735	56	.00828975
27	.00521044	57	.00847108
28	.00526648	58	.00866105
29	.00532588	59	.00885957
30	.00538879	60	.00906678
31	.00545532	61	.00928264
32	.00552586	62	.00950790
33	.00560069	63	.00974405
34	.00567982	64	.00999134
35	.00576319	65	.01024980
36	.00585008	66	.01051930
37	.00593983	67	.01080167
38	.00603239	68	.01109777
39	.00612737	69	.01140868
40	.00622483	70	.01173582
41	.00632463	71	.01207896
42	.00642615	72	.01243851
43	.00652957	73	.01281669
44	.00663558	74	.01321462
45	.00674469	75	.01363359";

(xii). Schedule III shall be omitted.

[F. No. 33/2/2010-P & PW (F)]

TRIPTI P. GHOSH, Director

Note: The Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 1939 and these rules are subsequently amended vide:-

1. S.O. No.3392 dated 13th December, 1974
2. S.O. No.1487(E) dated 30th December, 2003

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.